

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पंचवारा दौसा

उनवान

बनाम

1518

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज समोती बनाम राम खन्ना 1988</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुकम की को जारी</p>
-----------------------	--	--

दिनांक 12/11/88 के पेश होने पर

12/11/88 पञ्जाब राष्‍ट्रीय बोनस अदायगी केम बालोत्तर
पेश हुई। प्रस्तुत पञ्जाबी का अल्लोकाशन
किता एवं पञ्जाबी पर उपरुद्ध किता
का ध्यान पूर्वक भगन किता वसिष्ठ के
पुस्तक का निरखन इस प्रकार है
कि प्रारम्भ में समोती पर्वत कन्देधरपारा
अर्थात् मीना निकासी ग्राम हामावास द्वारा
अपनी श्वारकारी शर्त क्र. नं. 30 अक्ट
0.3000 हेक्टेयर स्थित ग्राम हामावास स्थीय
शहूवास की पत्त 1/1 की अर्थात् हेक्टेयर
एक प्रारम्भ अन्तर्गत धारा 188 एम.टी.के
न्यायालय के पेश किता प्रकरण नं. 30
किता जाकर बणनी जारी मीना कन्देधरपारा
शहूवास के गाँव रिपोर्ट चाली गई
वसिष्ठ धारा शहूवास के गाँव रिपोर्ट
केबन पञ्जाबी अर्थात् गई। मुलाबिक
रिपोर्ट वसिष्ठ धारा आरम्भ क्र. 30
नकासा 0.3000 हेक्टेयर जो है ग्राम हामावास की
श्वारकारी शर्त नं. 30 के नाम पर हिस्से
है कि प्रारम्भ अर्थात् नई एम.टी.के नं. 30
गई है। अति मोठे धू क्वारी केना की किता
किता है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ दौसा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पंचवारा दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज

नाम व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तारीख को
जारी हुये।

रमोली बनाम राजालकर 15/22

प्राप्त का शर्तना पत्र स्वीकार किने जाने के लिये
पुत्री व लोका है और प्राथमिक मर शर्तनापत्र
कानूनवित धारा 128 2AA के स्वीकार किया
जाता है।

कठिना

वह कठिना शब्दों को कठिना दिने मोह
है कि प्राथमिक की शर्तनापत्र के स्वीकार
प्रकार नंबर 0-3000 है कि शर्तनापत्र सामान्यतः
वह सौम्य शब्दों का निपटारा हुआ है कि शर्तनापत्र
किया जाकर भुगतान के लिये सामान्यतः
पुत्री व लोका पत्र शर्तनापत्र मिला जाना
हु कि शर्तनापत्र है। वह कठिना शब्दों को
इस आशय की रखी जाती है। प्रत्यक्ष
कैशुका शुभा है कि नंबर के नकले
वाह व कमी कट शिखर पर है।

उपखण्ड अधिकारी
लाजसौर जिला बीता (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पंचवारा (दौसा)